



केन्द्रीय विद्यालय डीबीएन शिकार (बीएसएफ), गुरदासपुर पंजाब

Kendriya Vidyalaya D.B.N. Shikar (BSF), Gurdaspur (Punjab)

School No. 24558 Affiliation No. 1600037 Phone: 01871-292726

Website:shikarpurbsf.kvs.ac.in E-Mail: ppl.dbnshikarbsf@kvs.gov.in

F. 1-12/1696/के वि शिकार /2021-22/ 1148

दिनांक: 04.01.2022

**OFFICE ORDER**

दिनांक 04.01.2022 को पंजाब सरकार, गृह एवं न्याय विभाग (गृह-4 शाखा) से कोविड-19 प्रतिबंध(दिनांक 15.01.2022 तक) के संबंध में प्राप्त पत्र संख्या एफ.7/56/2020/2एच4/33-34 के संदर्भ में सभी शिक्षकों को छात्रों और अभिभावकों को निम्न सूचित करने का निर्देश दिया जाता है:

1. ऑनलाइन कक्षाएं 05.01.2022 से आयोजित की जाएंगी।
2. अगले आदेश तक ऑफलाइन कक्षाएं नहीं लगेंगी।
3. छात्र केवल विद्यालय की ड्रेस में ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेंगे। वे कक्षाओं के दौरान ठीक से मास्क पहनेंगे।

सभी कर्मचारी सदस्य अगले आदेश तक हमेशा की तरह कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे। कार्यालय में अपनी उपस्थिति के दौरान उनसे अनुरोध है कि वे सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें और इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के बिना स्टेशन नहीं छोड़ेंगे।


**यह आदेश दिनांक 05.01.2022 से प्रभावी होगा।**

With Reference to the letter No.F.7/56/2020/2H4/33-34 Dated 04.01.2022 received from Government of Punjab, Department of Home Affairs & Justice (Home-4 Branch) regarding Covid-19 Restrictions till 15.01.2022, all the teachers are hereby directed to inform students & parents :

1. Online classes will be held w.e.f 05.01.2022.
2. Offline classes will not be held until further orders.
3. The Students will attend online classes in Vidyalaya's uniform only. They will wear masks properly during the classes.

All Staff members will report to Office as usual until further orders. During their attendance in the Office they are requested to maintain social distancing, wear mask and follow the guidelines issued in this regard by the ministry of health and family welfare from time to time. It is also directed that they will not leave the station without the permission of the Competent Authority.

This order will be effective from 05.01.2022.

  
(अनुज कुमार)

प्राचार्य/Principal  
के. वि. शिकार/K. V. Shikar  
डी. बी. एन./D.B.N.  
गुरदासपुर/Gurdaspur